

# कार्यालय नगर पालिका परिषद, मोदीनगर (गाजियाबाद)।

पत्रांक 163 / न0पा0 / 2019


दिनांक: 02 दिसम्बर, 2019


-:विज्ञप्ति:-

“नगर पालिका परिषद, मोदीनगर को “खुले में शौच से मुक्त (ODF++)” किये जाने की अन्तिम घोषणा की सार्वजनिक सूचना”

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद मोदीनगर जनपद गाजियाबाद द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत पालिका के कुल 26 वार्डों (वार्ड संख्या- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26) को खुले में शौच से मुक्त (ODF++) घोषित कराने हेतु पालिका द्वारा खुले में शौच से मुक्त (ODF++) घोषित कराने सम्बन्धी विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये थे, जिसमें नियत समयावधि तक कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।


अतः उपरोक्तानुसार नगर पालिका परिषद मोदीनगर के सभी कुल 26 वार्डों को खुले में शौच से मुक्त (ODF++) घोषित किया जाता है।

  
(शिवराज सिंह)  
अधिशासी अधिकारी

  
(अशोक माहेश्वरी)  
अध्यक्ष

## प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री अंकित गोयल, कम्प्यूटर प्रभारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को नगर पालिका की वेबसाइट [www.mppmodinagar.com](http://www.mppmodinagar.com) पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
3. संपादक तरुण मित्र मोदीनगर व परख प्रवाह मोदीनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त विज्ञप्ति को अपने आगामी अंक पत्र में शासकीय दरों पर कम से कम स्थान पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें एवं प्रकाशित समाचार पत्र की 02 प्रतियों सहित देयक बिल भुगतान हेतु पालिका को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. नगर पालिका परिषद मोदीनगर, के नोटिस बोर्ड पर चसपा हेतु।

  
(शिवराज सिंह)  
अधिशासी अधिकारी